अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3
22.12.2014	न्ययालय, उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 61–129/2012 अपीलार्थी – श्रीमती विभा देवी बनाम रेस्पोण्डेन्ट – राज्य सरकार –: आदेश :– प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के पारित आदेश ज्ञापांक 1459/प्रो0 दिनांक 28.09.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में दाखिल किया गया है इस अपीलवाद में मामला यह है कि केन्द्र सं0–55 कामत टोला बेलागंज छातापुर परियोजना (सुपौल) जिला का बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका द्वारा औचक निरीक्षण दिनांक 24.04.2012 को 11:45 बजे पूर्वाह्न में निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय केन्द्र पर बच्चों की सं0– मात्र (8) आठ थी सेविका अनुपस्थित थी सहायिका उपस्थित थी। केन्द्र पर बच्चों की सं0 – मात्र (8) आठ रहना एवं सेविका के अनुपस्थिति एवं अन्य अनियमितताओं के आरोप में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने अपने ज्ञापांक 1300/प्रो0 दिनांक 6. 09.2012 द्वारा सेविका से स्पष्टीकरण पूछा गया, स्पष्टीकरण समर्पित करने की तिथि 17.09.2012 निर्धारित किया गया। सेविका ने निर्धारित तिथि को अपना स्पष्टीकरण जिला प्रोग्राम कार्यालय सुपौल में समर्पित भी किया किन्तु उनके स्पष्टीकरण पर असहमति जताते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने उनके चयन को रद्द कर दिया। इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में की गई जिसमें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता/ सरकारी अधिवक्ता ने अपना–अपना पक्ष एवं कागजात, सबूत, के तौर पर न्यायालय के समक्ष रखा। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बतलाया कि सेविका श्रीमती	

विभा देवी जब 23.04.2012 को निरीक्षण तिथि के एक दिन पूर्व केन्द्र का समुचित संचालन कर घर वापस लौट रही थी तो रास्ते में ही पेट में एकाएक काफी दर्द होने लगा साथ ही सिर में चक्कर भी आने लगा। घर पर अपने सदस्यों के साथ वह डॉ0 के पास अपना ईलाज कराने पूर्णियाँ चली गई। पूर्णियाँ चिकित्सक के पास ईलाज करवाने हेतु जाने के क्रम में वे एक दिन का दिनांक 24.04.2012 का अवकाश हेतु मुखिया को अपना आवेदन समर्पित किया। किन्तु उन्होंने इसकी जानकारी छुट्टी पर जाने का सी0डी0पी0ओ0/महिला पर्यवेक्षिका को नहीं दे सकी, ऐसा हड़बड़ी व समयाभाव के कारण हुआ। केन्द्र पर दिनांक 24.04.12 को अवकाश में रहने एवं सहायिका को सारे दायित्वों का निर्वहन करने का आदेश भी उन्होंने सहायिका को दी। जहाँ तक केन्द्र पर कम बच्चों की उपस्थिति जो (8) आठ थी उसे और आगे बढाने की जवाबदेही सहायिका की बनती है अतः बच्चों की कम उपस्थिति पाये जाने की जवाबदेही सहायिका के भी होती है। साक्ष्य के दौर पर अपीलार्थी के अधिवक्ता ने मुखिया को दिए गए छुट्टी आवेदन पत्र एवं डॉ0 को दिखाया जाने वाला चिकित्सक प्रमाण पत्र भी अवलोकन कराया गया।

इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता ने बतलाया कि यह बातें तो निश्चित है कि केन्द्र पर बच्चों की संख्या मात्र 8 थी जो सेविका/सहायिका के द्वारा लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है एवं सेविका के द्वारा यह कहना है कि बच्चों को घर से लाना सहायिका का दायित्व है इससे सेविका अपने दायित्वों से बच नहीं सकती है। क्योंकि विभागीय मार्गदर्शिका 2120 दिनांक 20.06.2012 में यह अंकित है कि बिना पर्याप्त कारण के केन्द्र पर चौदह (14) बच्चे से कम बच्चे पाए जाते हैं तो सेविका को चयनमुक्त करने की कार्रवाई की जायगी। सरकारी अधिवक्ता के बयानों के बाद अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि सेविका अपने दायित्वों का निर्वाहण काफी मुस्तैदी से करती है कभी उस पर किसी प्रकार का आँच अभी तक नहीं उठा है। उन्होंने साक्ष्य स्वरूप बताया कि T.H.R वितरण में भी सेविका अपने दायित्वों का निर्वाहण सफलता पूर्वक किए हैं साक्ष्य स्वरूप T.H.R पंजी का भी अवलोकन कराया ।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह बताया कि आपातस्थिति/असमान्य असहज स्थिति में किसी भी व्यक्ति का किसी भी समय अचानक तबियत खराब हो सकता है खराब होने के स्थिति में वह सर्वप्रथम किसी चिकित्सक के पास इजाल हेतु जाएंगे ही चूँकि सेविका को अचानक काफी पेट दर्द एवं सिर में चक्कर आ गया अतः वह एक दिन का छुट्टी का आवेदन देकर चिकित्सा कराने चली गई

तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं मानी जानी चाहिए।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि C.W.J.C. NO.- 128510(PISR 2011,(3) page 140 के अनुसार मुखिया को छुट्टी का आवेदन देना मान्य है तथा C.W.J.C. NO.- 317/2014 एक 19486/2014 में माननीय उच्च न्यायालय बिहार पटना का आदेश पारित है जिसमें एक दिन की छुट्टी पर चयन मुक्ति की कार्रवाई पूर्णतः असवंधानिक एवं गलत है।

उरोक्त सारे विवेचनाओं एवं निष्कर्षों के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँची कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश पूर्णतः सही नहीं है यह बिना सोचे–समझे दिया गया निर्णय है, यहाँ नैसर्गिक न्याय का भी पालन नहीं किया गया है अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक 1459 दिनांक 28.09.12 को निरस्त किया जाता है किन्तु सेविका यह कह कर अपने दायित्वों से नहीं बच सकती है कि बच्चों को केन्द्र पर लाने की जबाव देही सहायिका की बनती है यह तो सामुहिक जिम्मेदारी की बात है कम लाभुक बच्चों का केन्द्र पर रहना उनकी लापरवाही एवं उदासीन्ता को दर्शाता है अतः यह न्यायालय सेविका को अपनी जबाव देही सही रूप में नहीं निभाने के आरोप में आर्थिक दण्ड एक महीने का पूरक पोषाहार की राशि जो बनती है सरकारी खजाने में जमा करने के लिए आदेश निर्गत करती है। साथ ही ज्ञापांक 1459/प्रो0 दिनांक 28.09.12 के द्वारा दिए गए दण्ड चयन मुक्ति कड़े दण्ड हटाकर पुनः आदेश निर्गत की तिथि से सेविका के पद पर चयन को बरकरार रखती है। आर्थिक दण्ड इसलिए भी देने हेतु यह न्यायालय आदेश पारित की है कि सेविका/सहायिका को यह ज्ञान हो कि भविष्य में वे काफी मुस्तैदी एवं जबावदेही के साथ केन्द्र का संचालन करेंगे। विभागीय मार्गदर्शिका के ज्ञापांक 2120 दिनांक 20.06.2012 में अंकित है लाभुक बच्चों की संख्या केन्द्र पर 14 से कम न होनी चाहिए। सेविका निरीक्षण तिथि को अस्वस्थता के कारण छुट्टी पर थी। सरकार का यह प्रोग्राम उन्हीं बच्चों की उपस्थिति पर निर्भर करती है, मुख्यतः इन योजनाओं से उन्हें ही लाभ लेना है, अतः बच्चों की संख्या अधिकतम रहे, सेविका/सहायिका दोनों को सामुहिक रूप से जबावदेही है। दोनों को सजग व मुस्तैद रहने की जरूरत है।

लेखापित एवं संशोधित

22.12.2014

उप-निदेशक, कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

22.12.2014

उप निदेशक, कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा